नागरिक स्वतंत्रता हेतु लोकसंघ

बनाम

भारत संघ व अन्य

9 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और एस.एच. कपाड़िया, न्यायाधिपति]

जनहित याचिका-एकीकृत बाल विकास सेवा-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना में 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के चरणबद्घ एवं समान तरीके से स्वीकृत एवं संचालित किए जाने-मार्च 2007 तक कुल 10.53 लाख ही स्वीकृत किए गए तथा स्वीकृत केन्द्रों को क्रियाशील नहीं किया गया-राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्वीकृत केन्द्रों को क्रियाशील बनाए तथा किए गए कार्य के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत करें।

इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.12.2006 के जरिये भारत सरकार को कम से कम 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को चरणबद्घ एवं समान तरीके से आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत एवं क्रियाशील करने के निर्देश दिए थे, जबकि मार्च 2007 तक कुल 10.53 लाख केन्द्रों को ही स्वीकृत किया गया एवं लगभग 3.47 लाख केन्द्र स्वीकृत होना शेष हैं तथा स्वीकृत किए हुए केन्द्र भी कई राज्यों में पूर्ण रूप से संचालित नहीं हुए हैं।

मामले में दिशा निर्देश जारी कर मामला स्थगित करते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारण किया गयाः

हस्तगत परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं कि बैकलाॅग को तुरंत पुरा किया जाए तथा जो केन्द्र सितम्बर 2006 तक स्वीकृत है, उन्हें दिनांक 15.07.2007 तक संचालित कर क्रियाशील बनाया जाए, सिवाये उत्तरप्रदेश राज्य, जहां अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2007 निर्धारित की गयी है। जो केन्द्र जनवरी 2007 तक स्वीकृत हैं, उनको दिनांक 30.09.2007 तक क्रियाशील बनाए जाए। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि समय अवधि की पालना न करने पर इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जायेगा। राज्यों के द्वारा निहित अवधि में किए गए कार्यों को दर्शाते हुए दिनांक 20.07.2007, 10.08.2007 व 10.10.2007 तक शपथ पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे।

ज्योति मैंदिरत्ता, वी. के. वर्मा, सुशिना सूरी, एस. वसीम ए. कादरी, डी. एस. माहरा, कमलेंद्र मिश्रा मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, रवींद्र के. अदसुरे, टी. वी. जॉर्ज, अनिल श्रीवास्तव, हेमंतिका, वाही, यू. हजारिका, सुमिता हजारिका, अजय पाल, ए. सुभाशिनी, तारा चंद्र शर्मा, गोपाल सिंह, एनजी। जे. आर. लुवांग, रिकू शर्मा, कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, जे. एस. अत्री, ए. मरियापुथम, अरुणा माथुर, अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी। के. एन. मधुसूदनन, आर. सतीश, टी. वी. जॉर्ज, एस. बालाजी, सुपर्णा श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, के. एच. नोबिन सिंह, रंजन मुखर्जी, वी. जी. प्रगसम, एस. वल्लीनायगम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, सिबो शंकर मिश्रा, जी. प्रकाश, बीना प्रकाश, रचना श्रीवास्तव, अरुणेश्वर गुप्ता, विकास उपाध्याय, बी.

एस. बंथिया, सुनीता शर्मा, कामिनी जैसवाल, गोपाल प्रसाद, डी. भारती रेड्डी, अपर्णा भारद्वाज, राजेश श्रीवास्तव, जन कल्याण दास, अनीस सुहरावर्दी, बी. बी. सिंह, इंद्र साहनी, आर. के. माहेश्वरी, प्रशांत कुमार, एस. वी. देहस्पांडे, के. वी. मोहन, मुकेश के. गिरि,

रमेश बाबू, एम. आर. प्रकाश श्रीवास्तव, संजय आर. हेगड़े और विश्वजीत सिंह पक्षकारान के लिए उपस्थित

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति डा. अरिजीत पासायत, द्वारा दिया गया।

1. इन सभी अंतवर्ती आवेदनों में याचि की शिकायत यह है कि दिसम्बर 2008 तक कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की मंजूरी जारी की जानी है। मार्च 2007 तक कुल 10.53 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की मंजूरी दी गयी है। लिहाजा अभी तक 3.47 लाख केन्द्र और स्वीकृत किए जाने शेष हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30.09.2006 को चालू आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 7.81 लाख हैं, इसलिए स्वीकृत केन्द्र भी चालू नहीं हुए हैं और उनकी संख्या 2.72 लाख है। जिन राज्यों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र को काफी हद तक चालू नहीं किया गया है, उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार हैः-

राज्य	स्वीकृत आंगनवाड़ी की	गैर संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों	राज्य सरकार शपथत्र के

	संख्या	की संख्या यू.ओ.आई. के अनुसार	अनुसार
बिहार	80528	22761	19602
झारखण्ड	32097	10638	7680
मध्यप्रदेश	69238	19432	16165
पंजाब	20169	5439	5439
हरियाणा	17192	1225	1225
पश्चिम बंगाल	92152	37088	37092
उत्तर प्रदेश	150427	33987	22087
मणिपुर	7639	3138	3138
असम	37082	11635	11666

* इनमें दिसम्बर 2006 में द्वितीय चरण में स्वीकृत आईसीडीएस केन्द्र शामिल हैं, इनमें से कोई भी केन्द्र स्पष्ट रूप से चालू नहीं किया गया है।

भारत संघ के शपथपत्र से यह स्थिति नियमानुसार दर्शित होती है।

2. दिनांक 31.03.2005 तक 7,64,709, दिनांक 30.09.2006 तक 9,46,000 (लगभग) एवं दिसम्बर 2006 तक 1.02 लाख इस प्रकार कुल 10,48,000 केन्द्र स्वीकृत किए गए।

3. दिनांक 13.12.2006 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ निम्नानुसार निर्देशित किया गया था।

"(1) भारत सरकार कम से कम 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध एवं समान तरीके से मंजूदी देगी, जो तुरंत शुरू होकर वर्ष 2008 तक समाप्त होगा। ऐसा करने में भारत सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों को चिन्हित करेगी।

(2) भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए जनसंख्या के मानदंड को किसी भी परिस्थिति में उपर की ओर संशोधन नहीं किया जायेगा। प्रति हजार की जनसंख्या एक आंगनवाड़ी केन्द्र की उपरी सीमा बनाए रखते हुए यह ध्यान रखा जावे कि नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की न्यूनतम सीमा 300 की जनसंख्या रहेगी। इसके अलावा ग्रामीण समुदाय एवं झुगी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए मांग करने की दिनांक से (जो कि तीन माह से अधिक नहीं होगा) आंगनवाड़ी केन्द्र दिया जाना चाहिए, जहां छह साल से कम उम्र के कम से कम 40 बच्चे हो, किन्तु वहां आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं हो।"

4 यह चिन्ता का विषय है कि स्वीकृत केन्द्रों (जो कि लक्षित से बहुत कम है) को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

5 विभिन्न राज्यों की ओर से उपस्थित विभिन्न अधिवक्तागण ने इस बाबत् विभिन्न कारण सुझाए हैं। प्रथमदृष्टया हम उन कारणों से संतुष्ट नहीं है। क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता पर कभी भी सवाल नहीं उठाए गए हैं एवं न ही इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

6 आंगनवाड़ी केन्द्रों की महत्ता को इस न्यायालय द्वारा कई आदेशों में उजागर किया गया है एवं आदेश दिनांक 07.10.2004 के द्वारा इसे निम्नानुसार अंकित किया गया था

> ".......अब हम स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में बात करेंगे। आदेश दिनांक 29.04.2004 से यह निर्देश दिया गया था कि स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को दिनांक 30.06.2004 तक क्रियाशील कर दिया जावेगा। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया था कि योजना के तहत् स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र बच्चों, किशोरियो एव गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को वर्ष में 300 दिन पौष्टिक भोजन एवं पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति करें। यह रिपोर्ट कुछ राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, बिहार एवं झारखण्ड में संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की तथा वह किस परिस्थिति में

क्रियाशील है, की एक धुंधली तस्वीर प्रस्तुत करती है। ऐसे मामले भी रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, जबकि बच्चों को महिनों तक भोजन की आपूर्ति नहीं की गयी है। उदाहरण के लिए झारखण्ड राज्य में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र मई से दिसम्बर 2003 तक कार्यशील नहीं थे। कोई संतोषजनक जवाब भी राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्य की ओर से प्रस्तुत दो शपथपत्रों में, जिनमें एक सितम्बर में पेश किया गया एवं दूसरा आज सुपुर्द किया गया है, तात्विक विसंगतियां पाई गई है। सितम्बर माह वाले शपथपत्र में सशपथ यह कथन किया गया था कि 16,689 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आज जो शपथ पत्र पेश किया गया है, संचालित केन्द्रों की संख्या 7,429 बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड राज्य के द्वारा स्वीकृत एक रूपये के बदल मात्र 42 पैसे औसतन प्रत्येक लाभार्थी को आंवटित किए जा रहे थे। बिहार एवं उत्तरप्रदेश राज्य में भी स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार राज्य में कुल 349 स्वीकृत आईसीडीएस परियोजना में से कुल 249 ही संचालित थी। शपथपत्र दिनांक 30.09.2004 के अनुसार सभी परियोजनाएं दिनांक 04.10.2004 से क्रियाशील बना दी गयी थी। ऐसा हुआ या नहीं, यह बता पाने में राज्य की ओर से उपस्थित श्री बी.बी. सिंह विद्वान अधिवक्ता निर्देश प्राप्त नहीं के

कारण बता पाने में असमर्थ है, जो भी हो, यदि सभी को क्रियाशील नहीं बनाया गया है, चूंकि दिनांक 04.10.2004 की दिनांक निकल चुकी है, हम यह निर्देश देते हैं कि आज से एक सप्ताह के अंदर उन्हें क्रियाशील बनाया जावे।"

रिपोर्ट के अनुसार हालांकी उत्तरप्रदेश में गैर कार्यात्मक/गैर संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र ज्यादा है, परन्तु राज्य के अनुसार 24 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र ही गैर संचालित है। शपथपत्र के जरिये यह दावा किया गया है कि शेष आंगनवाड़ी केन्द्र दिनांक 30.11.2004 तक चालू हो जायेंगे। हम सारे स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को दिनांक 30.11.2004 तक संचालित करने का निर्देश देते हैं तथा इसके बाद समय बढ़ाने के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र निजी भवन से संचालित हो रहे हैं, जिसमें अनाज विक्रेता भी सम्मिलित हैं, परन्तु कार्य करने का यह तरीका सही नहीं होकर अनाज की चोरी जैसी संबंधित घटनाओं को बढ़ाता हैं। यह खुशी का विषय है कि उत्तरप्रदेश राज् ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि उनके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रस्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है, जिसे अन्य राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए। रिपोर्ट में कई राज्यों में खरीद को केन्द्रीयकृत करने की कोशिश का भी जिक्र है, जिसके कई परिणाम हैं। एक शपथ पत्र में यह बताया गया है कि

खरीद राज्य स्तर पर नहीं अपितु जिला स्तर पर होती है। रिपोर्ट में खरीद के लिए ठेकेदारों का भी उल्लेख यह सुझाव देते हुए किया गया है कि यह कार्य सरकारी स्तर की एजेंसियों व अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। यह केवल एकीकृत बाल विकास सेवा से संबंधित रिपोर्ट की धारा 1 में दिए गए तथ्यों एवं आंकड़ों के चित्रण के माध्यम से है।

7. उत्तरप्रदेश राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि चुनाव के कारण देरी हुई थी।

8. ऐसी परिस्थितियों में हम निम्नानुसार निर्देश देते हैंः

बैकलाग को तुरंत पुरा किया जाए तथा जो केन्द्र सितम्बर 2006 तक स्वीकृत है, उन्हें दिनांक 15.07.2007 तक संचालित कर क्रियाशील बनाया जाए, सिवाये उत्तरप्रदेश राज्य, जहां अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2007 निर्धारित की गयी है। जो केन्द्र जनवरी 2007 तक स्वीकृत हैं, उनको दिनांक 30.09.2007 तक क्रियाशील बनाए जाए।

9. यह स्पष्ट किया जा रहा है कि समय अवधि की पालना न करने पर इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जायेगा। राज्यों के द्वारा निहित अवधि में किए गए कार्यों को दर्शाते हुए दिनांक 20.07.2007, 10.08.2007 व 10.10.2007 तक शपथ पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे।

10. मामले को दिनांक 20.07.2007 को सूचीबद्ध करें।

मामला स्थगित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी चेताली गोयल, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।